सामान्य शर्ते

1. जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर राज्यस्तरीय विश्वविद्यालय है।
2. सभी नियुक्तियां राज्य सरकार के आदेश कमांक **F7(2)DOP/A-II/2005** दिनांक 13.03.2006 के अनुसार दो वर्ष के परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में स्थिर वेतन पर होगी।
3. चयनित अभ्यर्थियों पर सेवा संबंधी नियम जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर के लागू होगें जो कि समय–समय परिवर्तन होने पर तद्नुसार लागू होगें।
4. विज्ञापन में जारी पदों की संख्या में परिवर्तन करने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित है।
5. सेवारत अभ्यर्थी अपना आवेदन–पत्र नियोक्ता अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण–पत्र सहित उचित माध्यम से प्रेषित करें।
6. आरक्षित पदों के लिए यदि योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो पाते है तो उनके पद राजस्थान सरकार के आरक्षण नियमानुसार रिक्त रहेगें।
7. अभ्यर्थी अपने आवेदन–पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, अनुभव इत्यादि की सत्यापित प्रतियां संलग्न करें।
8. अभ्यर्थी जिनके दिनांक 01.06.2002 के पश्चात अथवा पूर्व दो से अधिक संतान है, वे आवेदन के अयोग्य है। आवेदक को अपने संतान संबंधी घोषणा पृथक् से एक सादा कागज पर करनी होगी।
9. विज्ञापित पदों को भरने अथवा नहीं भरने का पूर्ण अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित है।
10. आवेदन शुल्क राशि रूपये 200/– (निःशक्तजन, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु रूपये 100/–) डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि कुलसचिव, जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर के नाम देय हो आवेदन के साथ संलग्न करें। आवेदन शुल्क किसी भी परिस्थिति में लौटाया नहीं जायेगा।
11. साक्षात्कार में आमंत्रित अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का यात्रा/भत्ता देय नहीं होगा।
12. आवेदन पत्र डाक द्वारा देरी से प्राप्त होने की स्थिति में विश्वविद्यालय इसका उत्तरदायी नहीं होगा।
13. आवेदन पत्र विश्वविद्यालय में अन्तिम तिथि दिनांक 03.12.2012 को सांयकाल 5.00 बजे तक डाक द्वारा अथवा व्यक्तिशः प्राप्त हो जाना चाहिए।
14. किसी भी विवाद के विषय में न्यायिक क्षेत्र जयपुर होगा।

Other Terms And Conditions

ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक बच्चे हो, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए तब तक अयोग्य नहीं समझा जाएगा, जब तक कि 01 जून 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढोतरी नहीं होती, परन्तु यह और कि जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वोत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चात्वर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा हो जाते है वहां बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जावेगा।

कुलसचिव